7.5.18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प शतलाबास पेश हुई प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 136 राज० भू० राज० अधि० के अन्तर्गत राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती का पेश किया कि वाद ग्रस्त आराजी मौजा राजपुरा के ख० न० पुराने 25/2 रकबा 8 बिघा 04 बिस्वा व खसरा न 25/492 रकबा 6 बिघा 10 बिस्वा कुभल्ले रकबा 15 बिघा 4 बिस्वा के सृजित नवीन ख० नं० 14 रकबा 2.03 है मे कम दर्ज रकबा 0.44 हैक्टर को राजकीय भूमि नवीन ख०न० 12 रकबा 2.51 हैक्टर मे से 0.44 है० पूर्ण कर प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज किया जाय जिसका सरकारी पेशकार तहसीलदार जसवन्तपुरा द्वारा जवाब पेश किया कि वाद ग्रस्त भू प्रबन्ध द्वारा मौके एव रेकर्ड अनुसार पर्चा लगान जारी कर आपतिया आमंत्रित कर अन्तिम पर्चा लगान जारी किया गया है सेटलमेन्ट के वर्षो बाद दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकृत योग्य नही है एव सरकारी भूमि खातेदारी दर्ज कराने

(2)

मंजू देवी बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 LRAct प्रकरण संख्या 138/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के लिए नही है जब कि शुद्धि प्रकरण रेकर्ड संधारण मे लिपिकीय त्रुटि होने पर दुरस्ती की जा सकती है हमने प्रकरण का अवलोकन किया वाद ग्रस्त आराजी के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मौका स्थिति एव रेकर्ड अनुसार रेकर्ड का संधारण किया गया। भू.रा. अधि. की धारा 136 के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि की स्थिति होने पर रेकर्ड दुरुस्ती की जा सकती है भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके एव राजस्व रेकर्ड की स्थिति अनुसार राजस्व रेकर्ड का संधारण कर अंतिम पर्चा लगान जारी किया गया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरुस्ती का अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज लोक अदालत कैम्प दातलावास सुनाया गया। मिसल फैसल शुमार हो। Sd/- 7/5/18 उपखण्ड अधिकारी जसवन्तपुरा मुख्यालय भीनमाल	

Scanned by CamScanner